[निजी प्रसार के लिए]

अंक २०

नई दिल्ली, अक्टूबर २०११

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'थाना स्तर पर 'पर्यवेक्षण' गुणवत्ता पर आधारित हो'

श्री वीरेन्द्र मिश्रा

मध्य प्रदेश पुलिस में सहायक इंस्पेक्टर जनरल(ए.आई.जी.), सी.आई.डी., श्री वीरेन्द्र मिश्रा से सामुदायिक पुलिसिंग तथा पुलिसिंग संबंधित सामान्य मुद्दों पर ज़ीनत मलिक की विशिष्ट बातचीत।

सबसे पहले तो आपकी किताब 'कम्युनिटि पुलिसिंग – फैक्ट या मिसनोमर' के प्रकाशन पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। चूँकि, आपकी किताब का शीर्षक थोड़ा भ्रामक है, इसलिए कृपया हमें सामुदायिक पुलिसिंग पर अपनी राय से अवगत करायें।

इस किताब में सामुदायिक पुलिसिंग को थोड़ा अलग तरीके से दर्शाया गया है। 'सामुदायिक पुलिसिंग' एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आजकल हर जगह इसकी बात की जा रही है। पूरी दुनिया में इसे 'रामबाण' की तरह देखा और अपनाया जा रहा है। लेकिन, जिस तरह से इसे अपनाया जा रहा है मुझे लगता है उसमें थोड़ा भ्रम है। इसे इनिशिएटिव पर आधारित माना जा रहा है जैसे कि कुछ नया शुरु किया गया तो वह सामुदायिक पुलिसिंग है। जबकि, मेरे अनुसार पुलिसिंग का आधार ही समुदाय है, आप एफ.आई.आर. दर्ज करने से लेकर सबूत इकट्ठा करना और गवाहों के बयान लेना किसी भी भाग को देख लें यह समुदाय से संबंध पर ही आधारित है। फिर अलग से 'सामुदायिक पुलिसिंग' कहने का क्या अर्थ है? पुलिस अपने काम को ठीक से करने के लिए समय–समय पर कुछ नई शुरुआत कर सकती है तो यह उसके बुनियादी काम का ही अंश है। जैसेः– मध्य प्रदेश में ही कई कार्यक्रम पुलिस कर रही है– परिवार परामर्श केन्द्र, नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति आदि।

आपके अनुसार थानों स्तर की पुलिसिंग में कहां कमियां हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

थानों के स्तर पर पर्यवेक्षण के तरीकों में कमियां हैं। 'कटिंग ऐज पुलिस' (अग्रणी पुलिस) जोकि कांस्टेबल से डी.एस.पी. तक मानी जाती है वह जनता और वरिष्ठ अधिकारयों की अपेक्षाओं के कारण बेहद दबाव में रहती है। डी.एस.पी. को कटिंग ऐज में इसलिए सम्मिलित किया जाने लगा है क्योंकि आजकल कानून व व्यवस्था के विभिन्न अवसरों पर तथा कई केसों जैसे किः– दहेज़ कानून के अंतर्गत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संबंधी केसों की जांच के दौरान वह समुदाय से सीधे संपर्क में रहते हैं।

आंतरिक स्तर पर इस दबाव का मुख्य कारण है 'पर्यवेक्षण पद्धति' जोकि आंकड़ों पर आधारित है। हर महीने डी.आई.जी. स्तर तक के अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है और इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। इसमें कितने केस दर्ज हुए और कितने सुलझे इस आधार पर पुलिस के काम को परखा जाता है, जोकि, ठीक नहीं है। डी.एस.पी. स्तर तक की पुलिस, जांच का काम करती है। एक जांच अधिकारी के पास एक ही समय में १५-१५ केस होते हैं वह भी तब जबकि उन्हें साथ में कानून–व्यवस्था और वी.आई.पी. ड्यूटी के मामलों को भी देखना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जांच अधिकारी का बहुत समय लग जाता है जोकि वह जांच में लगा सकता था। दूसरी ओर, अगर कोई केस सी.बी.आई. लेती है तो वह एक समय में एक ही केस करेगी और कुछ नहीं, तो जांच में इसका असर तो होना निश्चित है। जहां १५ केस हैं वहाँ पर्यवेक्षण में जांच की गुणवत्ता देखी जानी चाहिए, जांच सही दिशा में चल रही है कि नहीं न कि यह देखा जाए कि कितने केसों की जांच पूरी हो गई। इससे विवेचक (जांच अधिकारी) पर अनावश्यक दबाव बना रहता है और उसके काम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए, केस को दर्ज होने देना चाहिए और जांच में लगने वाले समय–सीमा को समझना चाहिए। सबसे पहले आन्तरिक स्तर पर पुलिस की सीमाओं को समझना चाहिए और पर्यवेक्षण का आधार काम की गुणवत्ता को बनाया जाना चाहिए न कि आंकड़ों को।

क्या आपके अनुसार पुलिस मानसिकता में साकारात्मक बदलाव आया है? क्या प्रजातांत्रिक या सेवा आधारित पुलिसिंग की अपेक्षा अगामी समय में की जा सकती है?

निःसंदेह! पुलिस की मानसिकता में बदलाव आया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि आज खुले तौर पर इन विषयों पर चर्चा होने लगी है। पहले एक सिपाही भी किसी गांव में चला जाए तो लोग उससे डरते थे जबकि आज ऐसा नहीं है।

पुलिस बदल रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। पुलिस भी उसी समाज का हिस्सा है जिसमें दूसरे लोग रहते हैं वह भी आम लोगों की तरह प्रतिक्रिया दे सकती है। लोगों को भी अपना रुझान बदलने की आवश्यकता है। पुलिस के अच्छे कामों के लिए उसे सराहना चाहिए लेकिन, मीडिया और जनता दोनों ही किसी एक पुलिसकर्मी की गलती के कारण समूचे बल को दोषी मान लेते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा और उसके लिए दण्ड भी दिया जाएगा, लेकिन सबको दोषी मानना ठीक नहीं होगा। पुलिस अगर अपना काम नहीं करती तो समाज में कुछ भी ठीक से नहीं चलता, हर तरफ़ अराजकता होती।

लेकिन पुलिस भी अपने अच्छे कामों का प्रचार मीडिया द्वारा कर सकती है ताकि इसकी छवि जनता में अच्छी हो सके, फिर वह ऐसा क्यों नहीं करती?

पुलिस के पास समय का अभाव होता है और मीडिया का भी तो यह दायित्व है कि वह साकारात्मक पक्ष भी उजागर करे।

पुलिस की यह शिकायत रहती है कि उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, आपके विचार में किस ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवयकता है? क्या इससे उनके काम पर कोई अच्छा प्रभाव होगा?

पुलिस के कल्याण संबंधी सभी मुख्य मुद्दों जैसेः– उचित आवास और बच्चों की शिक्षा पर सबसे अधिक और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे वह चिंतामुक्त होकर काम कर सकेगा और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।

अपनी व्यवासायिक कठिनाईयों को पुलिस मानवाधिकारों के संरक्षण में भी बाधा बनाती है। इस पर आपकी उन्हें क्या सलाह है?

पुलिस को उनका हर काम मानव अधिकारों की परिधि में रहकर ही करना है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता।

आपके सुझाव

मध्य प्रदेश पुलिस मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति की पिटाई करते हुए।

लोक पुलिस आपका सुझाव और राय चाहती है। ऐसे पुलिकर्मियों का क्या किया जाए?
आप हमें अपनी राय और सुझाव अपने नाम या अज्ञात जैसा आप चाहें नीचे लिखे पते पर अवश्य लिखें। हम पाठकों की राय को ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे।

हमें लिखें:

ज़ीनत मलिक,
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव,
बी–११७, दूसरी मंजिल,
सर्वोदय इंक्लेव, नई दिल्ली–११००१७
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००
फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८
info@humanrightsinitiative.org

गिरफ़्तारी वारंट – दुरुपयोग पर रोक

'गिरफ़्तारी' होने के साथ ही एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाती है। लेकिन, एक आरोपी को कानूनी प्रक्रिया द्वारा गिरफ़्तार करना खुद कानून की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी केस की सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा बुलावा (समन) भेजने के बावजूद उपस्थित नहीं हो, तब अदालत संबंधित थाने को उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करके लाने के लिए लिखित आदेश देती है। इसे गिरफ़्तारी वारंट कहते हैं।

गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के बाद और इसके कार्यान्वयन से पहले अगर वह व्यक्ति अदालत में हाज़िर हो जाता है तब अदालत वारंट को रद्द कर देती है और संबंधित थाने को इस बारे में सूचित भी किया जाता है ताकि अकारण ही किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न होना पड़े। लेकिन कभी–कभी इस वारंट के आधार पर पुलिस के साथ मिलकर लोग आपसी रंजिश भी निकालते हैं। जैसे कि–कार्यान्वयन की अवधि में से किसी ऐसे दिन गिरफ़्तारी करना जिस दिन आरोपी को अधिक परेशानी हो या अपमान झेलना पड़े।

ऐसा ही एक उदाहरण *रघुवंश दिवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य एंव अन्य* के केस में हुआ था। इस केस में किसी प्रेम हरचंदराय नामक व्यक्ति ने एक पेशेवर वकील रघुवंश दिवानचंद भसीन के विरुद्ध सन् २००० में भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२४ के अंतर्गत केस दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई के दौरान वकील साहब अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए और अदालत ने ७ अगस्त २००२ को अजमानती वारंट जारी कर दिया जोकि ३१ अक्टूबर २००२ तक अदालत में वापस जाना था। हालांकि, आवेदक वकील १२ अगस्त २००२ को अदालत में हाज़िर हो गए थे और वारंट रद्द कर दिया गया था। लेकिन, पुलिस ने उन्हें १५ अगस्त २००२ के दिन एक सार्वजनिक स्थान से गिरफ़्तार कर लिया। हांलाकि, उन्होंने वारंट रद्द होने की बात भी पुलिस को बताई लेकिन पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस हरकत से परेशान और अपमान झेलने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के हनन और मुआवज़े के लिए याचिका डाली। इसमें अदालत ने पुलिस अधिकारी को २००० रुपए आवेदक को देने के लिए कहा। इससे असंतुष्ट आवेदक ने उच्चतम न्यायालय में अपील डाली कि इस रकम को बढ़ाया जाए। अदालत ने इस रकम को तो नहीं बढ़ाया लेकिन इस प्रकार गिरफ़्तारी वारंट के दुरुप्योग को रोकने के लिए इस केस में ६ सितम्बर २०११ में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया:–

(क) सभी उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि निचली अदालतों में गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के लिए छपा हुआ और मशीन द्वारा नंबर दर्ज वाले फार्म–२ का ही उपयोग किया जाए और ऐसे सभी फार्म का हिसाब रखा जाए।

(ख) प्रमाणित करने से पहले, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वारंट पर केस का पूरा विवरण दिया गया है या नहीं।

(ग) अदालत के संचालक न्यायाधीश (अगर उच्च न्यायालय हो तो, इस काम के लिए अधिकृत ज़िम्मेदार अधिकारी) द्वारा वारंट प्रक्रिया पर उनका पूरा पढ़ा जा सकने वाला हस्ताक्षर और अदालत की मुहर लगी होनी चाहिए जिस पर उसका विवरण साफ़–साफ़ लिखा हो।

(घ) अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वारंट किसी एक विशिष्ट पुलिस अफसर (अधिकारी) को निर्देशित हो जब तक कि वह जान बुझकर इसे खुला न रखे, इसे कार्यान्वयन के बगैर या कार्यान्वयन के बाद उल्लेखित तारीख तक उनके पास वापस पहुँचना चाहिए।

(ङ) हर अदालत में (नीचे दिये गये प्रारूप में), एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें जारी किये गये प्रत्येक गिरफ़्तारी वारंट की तिथिगत सूची दर्ज हो और इस इंद्राज की क्रम संख्या इस प्रक्रिया के दाहिनी तरफ़ दिखाई पड़ना चाहिए।

(च) कोई भी वारंट ऊपर बताए गए रजिस्टर में दर्ज किए बगैर जारी नहीं किया जाएगा और संबंधित अदालत को समय–समय पर इसकी निगरानी करनी होगी यह देखने के लिए कि ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया आवश्यक रिपोर्ट के साथ अदालत में वापस आती है और उसे संबंधित केस रिकॉर्ड में लगाया जाता है।

(छ) ऊपर खण्ड (ङ) की तरह एक रजिस्टर, संबंधित थाने में भी रखा जाना चाहिए। थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी अदालत द्वारा कोई गिरफ़्तारी वारंट जारी किया जाता है तो इसकी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जाए और औपचारिक रूप से एक ज़िम्मेदार अधिकारी को इसके कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी दी जाए।

(ज) साधारणतः अदालत को वारंट के कार्यान्वयन और उनके पास वापस पहुंचने की अवधि में ज़्यादा अन्तराल नहीं देना चाहिए। अन्यथा ऐसा अनुभव रहा है कि अगर कार्यान्वयन एजेंसियों के पास वे अधिक समय तक रहती हैं तो इसके दुरुपयोग की सम्भावना रहती है।

(झ) वारंट की वापसी के लिए तय तारीख़ पर अदालत को चाहिए कि वह संबंधित थाना प्रभारी या संबंधित एजेंसी के प्रभारी से उनके द्वारा की गई कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट के लिए दबाव डाले।

(ञ) ऐसे वारंट की रिपोर्ट स्पष्ट, प्रभावशाली और पढ़ने योग्य होनी चाहिए और यथागत एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दुरुपयोग की स्थिति में ज़िम्मेदारी तय की जा सके।

(ट) अगर वारंट का कार्यान्वयन जारी करने वाली अदालत के बाहर का है तब, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ७८ और ७९ में उल्लेखित प्रक्रियाओं का सख़्ती और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

(ठ) अदालत द्वारा गिरफ़्तारी वारंट के रद्द करने की स्थिति में, रद्द करने के आदेश को केस फाईल और रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसकी एक कॉपी संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी जो कार्यान्वयन के बिना इस प्रक्रिया को तुरंत लौटा देगा। कार्यान्वयन के बिना वारंट की प्राप्ति की तारीख़ को उसके रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। ऐसे आदेश की एक कॉपी आरोपी को भी भेजी जाएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि 'सभी उच्च न्यायालय निचली अदालतों को इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश जारी करेंगे, जो जल्द से जल्द इसे व्यवहार में लाएंगे, अच्छा हो कि इस आदेश के ६ महीनों के अंदर।'

आशा है, उच्चतम न्यायालय के इन दिशा–निर्देशों के पालन से गिरफ़्तारी वारंट के दुरुपयोग के मामलों में कमी आएगी।

– ज़ीनत मलिक

क्या आप जानते हैं?

पुलिस द्वारा बाल न्याय कानून का पालन

केरल पुलिस द्वारा *बाल न्याय (देख रेख व बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम २०००* के अंतर्गत पुलिस की भूमिका को समझने के लिए जारी सर्कुलर को प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे समूचा अधिनियम पढ़ें। एक पुलिसकर्मी आवश्यक प्रावधानों से परिचित हो सकेगा।

साथ ही, इससे पुलिस द्वारा कानूनों के पालन की कोशिश का भी पता चलता है। सभी राज्य उचित कानूनों के लागू करने के लिए ऐसे सर्कुलर जारी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पुलिस महानिदेशक ने जो निर्देश दिए हैं उनको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का मकसद यह है कि दूसरे राज्यों द्वारा भी इसे बगैर अतिरिक्त परिश्रम के अपनाया जा सके। आशा है, यह जानकारी लाभप्रद सिद्ध होगी।

आप भी इस श्रृंखला में उचित योगदान कर सकते हैं इसे हम लोक पुलिस में प्रकाशित करेंगे।

सभी पुलिस अफसरों के लिए *बाल न्याय (देख रेख व बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम २०००* के प्रावधानों को समझना आवश्यक है। इसकी धारा २ के अंतर्गत परिभाषित "कानून के विरुद्ध बालक" को, दोषी, आरोपी या अपराधी नहीं कहा जाएगा। ऐसे बच्चे को विशिष्ट प्रकार के बर्ताव की आवश्यकता होती है।

- किसी भी परिस्थिति में, किसी 'कानून के विरुद्ध बालक' को उसकी गिरफ़्तारी के बाद प्रेस या मीडिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- धारा १० कहती है कि जैसे ही पुलिस, कानून के विरुद्ध बालक को पकड़ती है उसे स्पेशल बाल पुलिस यूनिट या प्राधिकृत अफसर की निगरानी में रखा जाना चाहिए, जिसे तुरंत ही इसकी सूचना बोर्ड के किसी सदस्य को देनी होगी।
- धारा १३ के अनुसार किसी बच्चे को गिरफ़्तारी के बाद, थाना प्रभारी या बाल कल्याण अधिकारी जिसके पास भी उसे लाया जाए, वह जितनी जल्दी संभव हो इसकी सूचना उसके माता–पिता या अभिभावक को दें, और उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दें जिनके सामने बच्चे को प्रस्तुत किया जाएगा।
- इसकी धारा २१ बालकों से संबंधित मामलों में उनके नाम और पहचान को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाती है। इस कानून के अतर्गत, कानून के विरुद्ध बालक से संबंधित किसी इंक्वायरी की जानकारी में नाम, पता, फोटो या स्कूल की जानकारी समाचारपत्र, पत्रिका या दृश्य मीडिया में देने से बच्चे की पहचान हो जाएगी, ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब इंक्वायरी करने वाले अधिकारी ऐसे प्रकाशन की लिखित इजाजत देते हैं और उनके मत में ऐसा करना बच्चे के हित में है।
- इन प्रावधानों की अवहेलना करने वाले को दण्डित किया जाएगा और इसके लिए जुर्माने को बाल न्याय (देख रेख व बच्चों की सुरक्षा) संशोधन अधिनियम २००६ से बढ़ाकर पच्चीस हज़ार रुपये (२५०००/-) तक कर दी गई है।

प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बच्चों की पहचान हो जाएगी और इससे वह अलग थलग हो जाऐंगे और उनपर कलंक लग जाएगा, जिससे कि उन्हें बचाना है।

उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनज़र सभी पुलिसकर्मियों को इस कानून के प्रावधानों को अच्छे से समझना है और कड़ाई से इसके अनुसार काम करना है। वे पुलिस और मीडिया के लोगों को भी इसके अनुसार सलाह दे सकते हैं।

– ज़ीनत मलिक

महिला हिंसा : अपराध और कानून

महिलाओं के साथ घर में हिंसा कोई निजी मामला नहीं है। यह गंभीर रूप से हर वर्ष महिलाओं पर असर डालता है और उनकी जान लेता है। नए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बम ब्लास्ट से अधिक महिलाओं की जान घरेलू हिंसा के कारण जाती है। २००६ में, पुलिस के पास ८,३८३ मृत्यु की रिपोर्ट घरेलू हिंसा के कारण दर्ज की गई इसकी तुलना में केवल २,२३१ मृत्यु आतंकवादी हमलों में हुई।

बहुत से शोध से पता चला है कि घर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान नहीं है, और भारत के संदर्भ में, यह बिल्कुल सच है। महिलाओं की उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों द्वारा हत्याएं की जाती हैं, बुरी तरह प्रताड़ित की जाती हैं। २००६ में, पुलिस ने ८६,५४६ ऐसे केस दर्ज किए जिसमें महिलाओं ने पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना या क्रूरता सहा था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण २००५-२००६ बतलाता है :

- ३ में से १ विवाहित महिला को पति द्वारा थप्पड़ मारा जा चुका है।
- १२ - १५ : महिलाओं का उनके पति द्वारा बांह मरोड़ने, धक्का देने, झकझोरने, लात मारना, घसीटना, पीटना या उन पर कुछ फेंकना दर्ज किया गया है।
- औरतों के एक छोटे समुह द्वारा सर्वेक्षण करने के बाद पता लगा कि उन्होंने गला दबाये जाने, जलाने, धमकाये जाने या हथियार से अमला किये जाने का अनुभव किया है।

प्रभावित महिलाओं की संख्याओं को देखते हुए, घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में शायद सबसे साधारण और अदृश्य अपराध है। कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाएं हिंसक पतियों को नहीं छोड़ पाती हैं जिनमें सुरक्षा भी शामिल है। उन्हें उससे अलग होने के बाद अधिक ख़तरा हो सकता है। कई महिलाओं के पास आश्रय लेने की कोई और जगह नहीं होती या उन्हें मदद कहां से मांगना है इसकी जानकारी नहीं होती।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ उन महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया है जो घर में हिंसा सह रही हों। कानून इस बात को मानता है कि हिंसा की स्थिति में भी बहुत सी महिलाओं के लिए अपना घर छोड़ना या रिश्ता तोड़ना बहुत कठिन होता है, यह कानून अदालत को यह शक्ति देता है कि वह महिलाओं पर हिंसा रोकने और उन्हें घर से निकालने से सुरक्षित रखने केलिए आदेश दे।

हालांकि, इस कानून में अदालत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आपराधिक न्याय व्यवस्था में सबसे पहले पुलिस आती है। घरेलू हिंसा सहने वाली अधिकतर महिलाएं मदद के लिए सबसे पहले पुलिस के पास ही आएंगी और उनमें से अधिकांश को घरेलू हिंसा कानून की जानकारी नहीं होगी। पुलिस का यह दायित्व है कि वह उन महिलाओं के इस कानून के अंदर उनके अधिकार और सहुलियत की जानकारी दे और इस कानून की सहायता लेने में उनकी मदद करे। यह आवश्यक है कि पुलिस को इस कानून के प्रावधानों की जानकारी हो ताकि वे पीड़ित महिलाओं की मदद बेहतर तरीके से कर सकें। हर पुलिस अधिकारी को उस कानून को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए जिससे कि विभिन्न प्रकार की हिंसा की जानकारी, अदालत क्या आदेश जारी कर सकती है उसकी जानकारी और दूसरी सहायता की जानकारी हो ताकि पीड़ितों कर सकें। पुलिस द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता में यह संदेश पहुंचाएगी कि किसी भी निजी रिश्ते में हिंसा और दुर्व्यवहार एक गंभीर मुद्दा है और यह असहनीय है।

इस कानून के अंतर्गत कुछ आवश्यक याद रखने योग्य बातें हैं :

- घरेलू रिश्ते में हिंसा सहने वाली कोई भी महिला किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर घरेलू हिंसा से सुरक्षा का आदेश ले सकती है।
- 'घरेलू रिश्ते' का अर्थ है ऐसे रिश्ते जिसमें दो लोग एक साथ शादी के रिश्ते, गोद लेने, खून के रिश्ते या संयुक्त परिवार के स्दस्य के रूप में साथ रहते हों। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है लेकिन वे पति–पत्नी की तरह रहते हों।

इस कानून के अंतर्गत 'घरेलू रिश्ते' की विस्तृत परिभाषा की जानकारी होना बहुत आवयक है। यह घरेलू हिंसा से सुरक्षा के संदर्भ में विवाहित और अविवाहित महिलाओं में कोई अंतर नहीं करता और यह पिछले रिश्तों के लिए भी लागू होता है। इसका अर्थ है कि कानून पत्नी, पूर्व–पत्नी, विधवा और कोई भी अविवाहित महिला जो पत्नी की तरह रहती हो, पर लागू होता है। इसमें शादी के अलावा दूसरे रिश्ते जैसे मां, बहन, भाभी, बेटी आदि को भी घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिल सकती है।

इस कानून की धारा ३ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हिंसा को परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा–मानसिक और शारीरिक नुकसान, चोट या ख़तरा, दहेज़ संबंधी प्रताड़ना, धमकी और ऐसी कोई भी हरकत जो दु:खी महिला को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाती हो। घरेलू हिंसा में मानसिक आघात भी शामिल है जिसका अर्थ है कि शारीरिक हिंसा के बगैर भी हिंसा हो सकती है। जैसे : किसी महिला का पति टीचर के रूप में उसकी सारी पगार ले लेता है, यह हिंसा है। हिंसा केवल मारना पीटना ही नहीं बल्कि अगर किसी महिला को बेटा न पैदा करने के लिए सास ताने मारती है, यह भी हिंसा है। शारीरिक हिंसा के बगैर भी हिंसा हो सकती है। जैसे : किसी महिला का पति टीचर के रूप में उसकी सारी पगार ले लेता है, यह हिंसा है। हिंसा केवल मारना पीटना ही नहीं बल्कि अगर किसी महिला को बेटा न पैदा करने के लिए सास ताने मारती है, यह भी हिंसा है।

पुलिस को यह भी समझना आवश्यक है कि यह कानून वर्तमान आपराधिक कानून में वृद्धि है। इसके आने से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पास एक और कानून की सहायता लेने का विकल्प आ गया है। अगर हिंसा अपराध तक बढ़ जाती है तो महिला अपराधिक केस भी दर्ज करा सकती है। पुलिस को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह किसी महिला को संज्ञय अपराध घटित होने की स्थिति में एफ. आई.आर. दर्ज कराने से यह कह कर मना नहीं कर सकते कि २००५ के कानून की मदद लो और इस रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

– देविका प्रसाद

सम्मन, वारंट और तामील

थाने पर नियुक्त पुलिसकर्मी को अपनी बीट में सम्मन की तामील व शिकायती प्रार्थनापत्रों की जांच सम्बन्धी कार्य भी करना पड़ता है। प्रत्येक कर्मी को सम्मन, वारंट, तामील, के तरीके, जॉच व पूछताछ के तरीका आदि का भली–भांति ज्ञान होना चाहिए। पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध प्राप्त सम्मन आदि की तामील को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इनके लापता हो जाने की सम्भावना रहती है।

सम्मन तामील

(१) सम्मन तामील का प्रावधान द.प्र.सं. की धारा ६१ से ६६ तक दिए गए है।

(२) न्यायालय द्वारा जारी सम्मन लिखित रूप में २ प्रतियों का होता है।

(३) सम्मन की प्रति पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर लगी होगी।

(४) सम्मन की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को देने के पश्चात् दूसरी प्रति पर प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए।

(५) किसी निगम या कम्पनी पर सम्मन की तामील उस निगम के सचिव, स्थानीय प्रबन्धक या प्रधान अधिकारी पर तामील की जा सकती है।

(६) यदि उपरोक्त तरीके से तामील न हो सके तो तामील वाले कर्मचारी को चाहिए कि वह सम्मन की एक प्रति दो गवाहों के समक्ष उस व्यक्ति के मुख्य दरवाजे पर चिपकाए।

(७) तामील के पश्चात सम्मन की पुस्त पर अपनी रिपोर्ट अंकित करें।

(८) पुलिस कर्मियों के सम्मन यदि वह शीघ्र उपलब्ध न हो तो उनकी तैनाती के थाने पर मौजूद जी.डी. में वास्ते तामील द्वारा थाना प्रभारी दाखिल कराये जा सकते हैं। द्वितीय प्रति पर इस आशय की रिपोर्ट अंकित कर न्यायालय को वापस किया जा सकता है।

(९) पेशी के नियत तिथि से पूर्व तामील शुदा या अदम तामील सम्मन रिपोर्ट सहित सम्बन्धित न्यायालय में अवश्य वापस करा दिये जाय।

जाँच प्रार्थना पत्र

(१) सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र को पढ़कर यह निर्धारित कर लें कि किन तथ्यों पर जॉच की जानी है।

(२) यदि शिकायती प्रार्थना पत्र है तो दोनो पक्षों से मिलकर बातचीत करें तथा सुलह की सम्भावनाओं का पता कर मामले को निपटाने का प्रयास करें।

(३) थाने के रिकार्ड जैसे रजिस्टर नं. ८, अपराध रजिस्टर आदि को भी देखें।

(४) जॉच के पश्चात सभी तथ्यों से अपने पर्यवेक्षक को अवगत करायें।

(सैजन्य: उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा सभी स्तर पर पुलिसकर्मियों को उपयोग के लिए दी जाने वाली पुस्तिका के कुछ अंश)

आपके विचार

महोदया,

लोक पुलिस में 'एक्टिव फॉर लाईफ' शीर्षक से छपा लेख बेहद पसंद आया। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है और एक स्वस्थ पुलिसकर्मी जनता की सेवा अच्छी तरह कर सकता है।

इसके अलावा, मेरे विचार में विभिन्न कानूनों और उच्चतम न्यायालय के पुलिस और कानून से संबंधित निर्णयों का समावेश पुलिसकर्मियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

श्री अरविंद सिंह,
अतिरिक्त थाना प्रभारी
मलवीय नगर थाना,
दिल्ली पुलिस

नमस्कार जी,

लोक पुलिस के अगस्त व सितम्बर २०११ अंक में प्रकाशित साक्षात्कार बेहद पसंद आया। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि माननीय डी.जी.पी. साहब ने यह साफ़ शब्दों में बतला दिया है कि पुलिस मानवाधिकारों के मानकों का पालन करते हुए काम करेगी तब कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जो वह सुलझा नहीं पाएगी। जनता इस स्थिति के लिए भी तैयार रहे। अगर पुलिस उचित सुराग के कारण किसी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर पाती है तब जनता और मीडिया दोनों ही पुलिस को नकारा साबित करने की कोशिश करने लगते हैं।

कांस्टेबल, जयपुर
सदस्य, राजस्थान पुलिस

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

मुंबई पुलिसकर्मियों के लिए-टूटी खिड़कियां और टपकती छतें!

कोई भी व्यक्ति जब कम से कम ८ घंटे की कड़ी मेहनत करके घर जाता है तो उसे उम्मीद होती है कि जैसा भी घर है, जैसे भी हालात हैं, वह सुख और शांति से बैठकर भोजन करके आराम करेगा। लेकिन, मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस कालोनी में ५०० पुलिसकर्मियों को ८ घंटे नहीं, अनगिनत घंटे काम पर गुज़ारने के बाद भी जब वे घर आते हैं तो चैन से आराम कर सकें इसकी कोई गारंटी नहीं।

कारण? उनके सरकारी आवासों की बदहाल स्थिति जिसमें कभी किचन में सीमेंट की पर्तें गिरती हैं तो कभी छत टपकती है तो कभी नालियां परेशान करती हैं। इन मकानों की हर साल मरम्मत होनी चाहिए जिसके लिए सभी पुलिसकर्मियों के पगार में से मकान के किराये के २४०० रुपये के अलावा १००रु. मरम्मत के लिये काटे जाते हैं लेकिन, इन मकानों की लगातार मरम्मत न होने के कारण यहाँ रहने वाले परिवारों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जब कभी वे अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह बिल्डिंग टूट कर नई बनेगी इसलिए मरम्मत नहीं हो रही है। लेकिन, यह उम्मीद कई सालों से दी जा रही है और पुरानी बिल्डिंग बगैर मरम्मत के और भी बदहाल होती जा रही है।

ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि उनके अनुसार पिछले दो साल से शिवाजी पुलिस कालोनी की मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इस साल यह काम जल्द ही शुरू किया जाएगा।

शिवाजी नगर पुलिस कालोनी हो या कोई और पुलिस कालोनी, कम से कम जिन लोगों से मानव संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर १२-१४ घंटे काम कराया जाता है, उन्हें उचित रिहाईश का अधिकार तो होना ही चाहिए। काम की अधिकता का भार तो वह अकेला ही शारीरिक तौर पर झेलता रहता है लेकिन अगर मकान रहने के लिए उचित न हो तो उसके साथ साथ उसका सारा परिवार हर समय परेशान रहता है। इसलिए, राज्य सरकारों को अच्छे और सभ्य मकानों की कमी को सबसे पहले पूरा करना चाहिए।

(सैजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, २० सितम्बर २०११)

दिल्ली पुलिस – 'मेरी गली प्रोग्राम'

दिल्ली पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग का एक नया तरीका अपनाया है, इसके अंतर्गत लोगों को अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है। पुलिस ने 'मेरी गली प्रोग्राम' को दोबारा शुरू किया है और इसको सफ़लतापूर्वक चलाने के लिए बल्क एस.एम.एस. का सहारा लिया जाता है। पुलिस इसके द्वारा लोगों को अपने आतंकवाद विरोधी मुहिम की जानकारी देती है और फिर लोग स्वंय निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस ओर अधिक सुरक्षा बढ़ानी है।

पुलिस ने प्रायोगिक स्तर पर इसे अभी पश्चिमी दिल्ली में शुरू किया है। यहां, लोगों को २३० छोटे रोड ब्लॉक दिय गए हैं जिनका प्रबंधन पूरी तरह स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाता है। ये लोग लगातार मीटिंग करते हैं और रात को ११ बजे के बाद आवश्यकता अनुसार इन्हें लगा देते हैं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री वी. रंगनाथन के अनुसार 'रोड ब्लॉक लगाने के कई फ़ायदे हैं। इससे क्षेत्र में आने वाले नए लोगों की जानकारी मिलती है, चोरी की वारदातें कम होंगी। ख़ासकर, इन इलाकों में वाहनों की चोरी में कमी आई है।'

दिल्ली पुलिस की कोशिश तो अच्छी है लेकिन इसे एक साथ सभी ज़िलों में लागू करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २३ सितम्बर २०११)

डी.जी.पी. ऑफिस या एफ. आई.आर. डेस्क ?

बिहार के डी.जी.पी. श्री अभयानन्द पिछले दिनों शिकायतकर्त्ताओं की एफ.आई. आर. दर्ज करवाते दिखाई पड़े। दरअसल, उन्होंने दो अलग–अलग ज़िलों से आए हुए परेशान शिकायतकर्त्ताओं की शिकायत पर अपने ऑफिस में एक अधिनस्थ अधिकारी द्वारा पहले उनके बयान दर्ज करवाये फिर संबंधित थाने में किसी को भेजकर उनका एफ.आई.आर. दर्ज करवाया। इन लोगों की शिकायत संबंधित थानों में दर्ज नहीं की गई थी इसलिए उन्होंने डी.जी.पी. कार्यालय का सहारा लिया। इनमें से एक व्यक्ति पश्चिमी चंपारण से आया था और दूसरा नालंदा से।

जब श्री अभयानन्द जी से पूछा गया कि कहीं इससे डी.जी.पी. ऑफिस एक थाने के रूप में तो नहीं बदल जाएगा ? तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तब भी कोई कठिनाई की बात नहीं है क्योंकि इससे उन्हें यह पता चलेगा कि किन ज़िलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ ही गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।

जहां, डी.जी.पी. ऑफिस से शिकायतकर्त्ताओं को राहत मिलना एक अपेक्षित और सकारात्मक कदम है वहीं पुलिस नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे कि पीड़ित लोगों की शिकायत दर्ज करने से कोई भी थाना प्रभारी इंकार न करे। क्योंकि, न तो हर शिकायकर्त्ता जैसे कि– महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे, डी. जी.पी. कार्यालय तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है और न ही इस कार्यालय के लिए यह व्यावहारिक होगा।

इसलिए, आवश्यकता है नीति स्तर पर इस विषय से संबंधित कानूनों और उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के पालन को रोज़मर्रा के काम करने के तरीकों में शामिल किया जाए। साथ ही इसकी अवमानना करने वाले अधिकारियों तथा शिकायत लेने से मना करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २७ सितम्बर २०११)

महिला सब इंस्पेक्टर – अगर सच्ची लगन हो तो.....

विद्या विठल कलडाटे, वर्तमान में एक सब–इंस्पेक्टर के पद प्राप्त कर चुकी हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने असाधारण परिश्रम किया और सब इंस्पेक्टर पद के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त २०११ में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं। इस परीक्षा में सफ़ल होने वाले ७८ कांस्टेबल/हेड कांस्टेबलों में वह अकेली महिला हैं, जबकि इस परीक्षा में कुल ४०० महिलाओं ने भाग लिया था।

विद्या को घर से ऑफिस पहुंचने में तकरीबन २ घंटे लगते हैं। इसके साथ ही वह विवाहित हैं और अपने ससुराल वालों के साथ ही रहती हैं अर्थात् गृहस्थ जीवन और व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ ही उन्होंने अपने व्यावसायिक स्तर को बढ़ाने के लिए समय का उचित उपयोग करके यह स्थान प्राप्त किया है। वह अपने यात्रा के समय को उपयोग करने के लिए, कानूनों को घर पर मोबाईल में रिकॉर्ड कर लेती थीं और रास्ते भर उसे सुनकर स्मरण किया करती थीं।

आज वह कंप्यूटर विंग में कर्यरत हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी सफ़लता से बेहद खुश हैं और ज्वाईंट कमिश्नर (क्राईम) जिनके अंतर्गत कंप्यूटर विंग आता है का कहना है 'विद्या ने हमें गौरान्वित किया है। उसने अपने दृढ़ इरादे और कठिन परिश्रम से यह सफ़लता प्राप्त किया है'।

किसी ने सच ही कहा है–जहां चाह, वहां राह! ये सबको मालूम है कि कांस्टेबुलरी के पास काम की इतनी अधिकता है कि वह अपने हिस्से की ड्यूटी निभाने में भी कई बार असमर्थ रहते हैं। लेकिन, उन्हीं हालातों में, एक महिला होकर भी (क्योंकि उसके घरेलू दायित्व भी होते हैं) विद्या ने इन कठिनाईयों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। अगर पुलिस चाहे तो इसी प्रकार अपने व्यावसायिक दायित्वों को भी पूरा करने में, किसी भी विपरीत परिस्थिति का बहाना बनाये उचित ढ़ंग से बगैर उसका निर्वाह कर सकती है।

(सैजन्य : हिंदुस्तान टाईम्स डॉट कॉम, ३ अक्टूबर २०११)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org